न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– करतार सिह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 99/2021
आरसीएमएस नं0 2021/99
अन्तर्गत धारा 225 आरटीएक्ट

दयाराम पुत्र नन्दराम जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।

–अपीलाण्ट

बनाम

1. नन्दराम पुत्र मोटाराम जाति जाट साकिन ललानाबास उतरादा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. उपपंजियक रामगढ/नोहर तहसील नोहर।

– रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.03.2021
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर,
प्र0 सं0 108/2019 अनवान दयाराम बनाम नन्दराम अदि
श्री हवासिंह पूनिया अधिवक्ता अपीलाण्ट

निर्णय दिनांकः– 21.07.22

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया। वादपत्र में गैरसायल सं0 1 के नाम दर्ज रोही मोज ललानाबास श्योपुरा के खसरा नं0 18/3 की 1.0880 है0 56/3 की 1.0410 है0 कुल 2.1290 है0 भूमि गैरसायल को विरास्तन प्राप्त होना बताया मगर रोही मोज ललानाबास की के खसरा नं. 35 की 4.0590 है0 भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीद करना उसका बैयनामा परिवार के मुखिया होने के कारण प्रतिवादी नं. 1 को होना बतो

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

हुए भूमि को विरासतन प्राप्त होना बताते हुए पैतृक भूमि होना बताया। साथ ही पैतृक जद्दी जायदा होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी नं. 2 ता 5 का जनम से ही अपने पिता के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा होना बताया। राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज होने के कारण वादी के खातेदारी हकूक का हनन होना बताते हुए अपने नाम से 1/6 की घोषणा करवाने का हकदार बताया और कथन किया कि विवादित भूमि को प्रतिवादी रहन बैय एवं मुतकिल करने की धमकी दे रहा है इसलिए उसके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकारी बताया। एक प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का भी प्रस्तुत किया जिसमें अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का अनुतोष मांगा। रेस्पोडेण्ट सं0 1/अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया एवं प्रश्नगत भूमि को स्वअर्जित होना बताते हुए विवादित भूमि का खातेदार काश्तकार होना बताया एवं खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती का कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का कथन किया। विचारण न्यायलाय ने प्रार्थना–पत्र धारा 212 आरटीएक्ट का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अपील में रेस्पोडेण्ट सं0 के सम्मन रजिस्टर्ड ए.डी. भिजवाए गये मगर उसकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं आया लिहाजा अपीलाण्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन कियाकि मातहत अदालत ने अपने निर्णय में यही दर्ज किया है कि ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर के ख. नं. 35 की 4.0590 है0 भूमि गैरसायल की खरीद शुदा भूमि है जिस पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती उक्त गलत तथ्य दर्ज कर निर्णय किया है। ये सभी तथ्य दावा में तय होंगे तब तक मातहत अदालत को अस्थाई निषेधज्ञा जारी करनी चाहिए थी इस बात पर मातहत अदालत ने कोई गोर नहीं किया है। उक्त भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि संयुक्त परिवार की आय से खरीद की थी जिसका बैयनामा परिवार का मुखिया होने के कारण रेस्पोडेण्ट सं 1 के नाम करवा दिया गया था जो रेस्पो0 नं0 1 की स्वअर्जित नहीं मानी जा सकती है। इस भूमि में अपीलाण्ट एवं उसकी बहनों का भी हक है। विचारण न्यायालय ने प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति सायल अपीलण्ट के पक्ष में साबित होते हैं। विचारण न्यायालय का आदेश स्वैच्छाचारी, मनमाना एवं कानून

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय न्यायालय का अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अपीलाट का कथन है कि प्रश्नगत ख. नं. 35 की 4.0590 है0 भूमि संयुक्त परिवार की आये से खरीद की थी जिसका बैयनामा परिवार का मुखिया होने के कारण रेस्पोडेण्ट के नाम करवा दिया गया था। मगर अपीलाण्ट ने ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही किया जिससे प्रश्नगत भूमि को पैतृक या विरासतन से प्राप्त होना माना जा सके। केवल मात्र कि पैतृक सम्पति की आय से खरीद की गई होना बताया जिसके सम्बन्ध में अपीलाण्ट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायला की पत्रावली में बेयनामा के फोटो प्रति संलग्न है जिससे साबित होता है कि उक्त भूमि रेस्पो0 सं0 1 की खरीदशुदा भूमि है जिसके आधार पर उसके नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज है। यह भूमि उसकी स्वअर्जित भूमि है। रेस्पोडेण्ट इस भूमि का अभिलिखित खातेदार काश्तकार है जिसके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। शेष भूमि को अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम दृष्टया पैतृक भूमि होना पाया है उस पर स्थगन आदेश को यथावत रखा गया है। मगर उपरोक्त भूमि पैतृक भूमि साबित नहीं होने के कारण अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र आंशिक स्वीकार किया है जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.03.2021 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

21.7.22

(करतार सिंह पूनियाआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)